FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई — मुकाम अराई (अजमेर)

• विश्राम पुत्र रूपा जाति जाट आयु 58साल निवासी कटसूरा

—वादीगण

बनाम

• राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर

—प्रतिवादीगण।

किस्म मुकदमा— धारा 251 (क) भू0राजस्व अधिनियम 1956

नंबर 19 / 2025
ऑनलाइन नंबर 2025 / 37.....

वकील वादीः— अशोक शर्मा — वकील प्रतिवादीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
01-5-2025	यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 29/05/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अरांई	
29/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर बाहर। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार..... दिनांक 10/9/25 को पेश हो। WB	
10/9/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजर। पैरोकार सरकार गैरहाजर। तहसीलदार से पत्रावली दिनांक 8/10/25 को पेश हो। WB	
8/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजर। वकीलपक्षी वादी ने कहा कि नहीं चलाना चाहते हैं। अतः पत्रावली मौखिक रूप से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुदा दाखिल दफ्तर हो। WB	Note press 08.10.2025

Scanned with OKEN Scanner